

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रौची।

दिनांक-08वीं मार्च 2021

सेवा में,

Arka Educational and Cultural Trust,
Arka Jain University, Mohanpur,
Gamharia.

बिषय :- मौजा—मोहनपुर, प्लाट नं—312, 312 C, 312 (P) B, 313, 314 (Part), 315, 308, 217 & 251, खाता नं—23, 11, 29 & 42, वार्ड नं—N/A, थाना—मोहनपुर—गम्हरिया—24, जिला—सरायकेला—खरसावॉ में निर्मित Arka Jain University, Mohanpur भवनों हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।

आपके द्वारा समर्पित ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में उक्त निर्मित Arka Jain University, Mohanpur शैक्षणिक भवन के निर्मित स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, आदित्यपुर सरायकेला—खरसावॉ से कराई गई। उनके ज्ञापांक—103, दिनांक—07.03.2021 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त निर्मित शैक्षणिक परिसर में भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. निर्मित शैक्षणिक भवनों परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ—आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. शैक्षणिक भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम बीस—बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवनों परिसर के चारों तरफ 150 mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक ब्लॉक के सामने वाले भाग में एक—एक यार्ड हाईड्रैष्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। प्रत्येक यार्ड हाईड्रैष्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. भवनों के प्रत्येक ब्लॉक के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड वाटर टैंक से जुड़ा हुआ एक—एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 63mm डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा 30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रत्येक तलों पर प्रत्येक डिलिवरी आउटलेट के पास एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें 02 लेन्थ डिलिवरी होज तथा 01 अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु 2250 Lpm क्षमता वाले एक—एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. सभी ब्लॉकों में 450 LPM क्षमता वाले टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय एवं पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
11. पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
12. सभी ब्लॉकों के सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट दिया जाय।
13. भवनों के Library के सभी तलों को एड्रेसेबल डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
14. भवनों के पुस्कालय को 10 केऽजी० क्षमता वाले मॉड्युलर टार्फ डी०सी०पी० से सुरक्षित किया जाय।
15. भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
16. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
17. प्रत्येक भवनों में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार—चार अदद डी०सी०पी० एवं 04.5 केऽजी० क्षमता के सी०ओ०टू० 04-04 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

18. भवनों Exit & Leading to Exit Way एवं सेटबैक एरिया को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
19. भवनों के बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के 02-02 अदद सी0ओ0टू तथा 06 के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. प्रत्येक भवनों में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आक्रिमिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
21. निकटतम Fire Station के Telephone Nos. का डिस्प्ले किया जाय।
22. भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
23. भवनों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संरक्षणपूर्ण व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया।
24. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जॉच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
25. भवनों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER
MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851
f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de538
3159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.03.08 15:30:47 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।